न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2006/669/गंगानगर.

1– श्रीमति बन्ती पुत्री श्री तनसुखराम पत्नि श्री सुल्तान जाति मेघवाल निवासी सतराना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

2– श्रीमति रूकमा पुत्री श्री तनसुखराम पत्नि श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी पंवारवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1– मु0 मीरा बेवा श्री तनसुखराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी. पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2– श्रीमति विमला पुत्री श्री तनसुखराम पत्नि श्री ज्ञानचन्द जाति मेघवाल निवासी चक 13 एम.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

3– सीमा देवी पुत्री श्री तनसुखराम पत्नि श्री रोहिताश्व जाति मेघवाल निवासी ढाणी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः–

श्री प्रदीप विश्नोई, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।

श्री राजेश गौतम, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

***दिनांकः–* 22/07/2025**

1– यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 110/2004, उनवानी श्रीमति बंती बनाम श्रीमति मीरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– हस्तगत अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या–1 के पति व वादीया संख्या–2 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के पिता तनसुख को चक 28 एएसए के मु0नं0 107/11 के किला नं. 12 से 25 की 11.12 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन है। तनसुख का दिनांक 19–12–1987 को देहान्त हो चुका है तथा इनकी मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम से उक्त भूमि का इन्तकाल दिनांक 04–09–96 को दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 इस भूमि के खातेदार है। वादी संख्या–1 अपने पिछले गांव चक 1 पीपी तहसील पदमपुर में निवास करती थी व वादी संख्या–1 व 2 जो शादीशुदा है वे अपने ससुराल में रहती है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2व उनके पतियों ने इस समस्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि का कब्जा देने को कहा तो वे कहने लगे कि इस भूमि में किलावार आपका नाम दर्ज नहीं है, जब तक आप इस भूमि का बंटवारा किलेवार नहीं करवा लेते है, तब तक इस भूमि को हम नहीं छोड़गें, इस कारण वादकारण उत्पन्न होने पर वादपत्र पेश कर विवादित भूमि का बंटवार कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने जवाब दावा पेश कर वादपत्र खारिज करने एवं विवादित भूमि का पारिवारिक समझौता के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को खातेदार घोषित करने बाबत् काउण्टर क्लेम पेश किया।

योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में चार विवाद्यक विरचित किये गये, जिन पर वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर उभय पक्षों की अंतिम बहस सुनकर वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी बंती वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या–110/2004 पेश की गई, जिसे योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05–12–2005 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 05–12–2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा कायम विवाद बिन्दुओं में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम बाबत् कोई विवेचना की गई है। प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत साक्ष्य में पारिवारिक बंटवारा को पूर्ण रूप से साबित किया था और उसी बंटवारा के अनुसार अपीलार्थी काबिज है, इसलिये अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य है, किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर लिया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय ने करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य, विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाये।

4– उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित भूमि तनसुखराम को आवंटित थी। तनसुखराम की मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि के उत्तराधिकारी है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी वादीगण का वाद साबित होना मानकर डिक्री किया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से इनके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर मूल वाद के निस्तारण हेतु 04 विवाद्यक विरचित किये गये, जिनमें विवाद्यक संख्या–1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर एवं विवाद्यक संख्या–3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अधिरोपित था। उक्त विवाद्यकों को साबित करने हेतु वादी पक्ष द्वारा पी.ड. 1 सीमादेवी, पी.ड. 2 मीरा व पी.ड. 3 विमला के बयान दर्ज करवाये गये एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाह डी.ड. 1 रामचन्द्र, डी.ड. 2 रूकमा, डी.ड. 3 बन्ती व डी.ड. 4 हरवंशसिंह के बयान लेखबद्ध कर परीक्षित करवाये गये। तत्पश्चात् योग्य विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–09–2004 द्वारा विवादित भूमि का वादी संख्या–1 से 3 व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का खाता विभाजन करने हेतु तहसीलदार, घड़साना से प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को इनके हिस्से की भूमि को छोड़कर शेष भूमि से बेदखल कर वादी संख्या–1 से 3 को कब्जा दिलाये जाने आदेश पारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मूल वाद अंतर्गत धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् डिक्री किया गया है तथा प्रतिवादीगण का इस संबंध में मुख्यतः कथन रहा है कि उनका पारिवारिक समझौता के तहत् कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवाद्यक संख्या–3 व 4 को अपने पक्ष में साक्ष्यों से सिद्ध भी करवाया गया, किन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर कोई विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही सरसरी तौर पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया।

6– उपरोक्त वस्तुस्थिति के संबंध में आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–09–2004 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय तनकीवार पारित नहीं कर संक्षिप्त तौर पर वाद डिक्री

किया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के अभिकथनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये, जिन्हें साबित करने हेतु उभय पक्षों द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य भी पेश कर परीक्षित करवाई गई, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्यों पर कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के संबंध में भी कोई निष्कर्ष अंकित किया जाना स्पष्ट है।

7– ***सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–20 नियम–5 के अनुसार–*** न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा–उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिये पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक् विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।

स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–09–2004 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–20 नियम–5 के विपरीत होने से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा भी उक्त विधि संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 05–12–2005 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2004 की पुष्टि की है।

8– उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 पारित करने में एवं योग्य अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–12–2005 से विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की पुष्टि करने में गंभीर विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 एवं योग्य अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2005 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर आदेश–20 नियम–5 सीपीसी के अन्तर्गत विवाद्यक वार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करे।

उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2004/742 दिनांक 02–12–2004 से मूल पत्रावली संख्या 86/02 कार्यालय में दिनांक 27–10–2004 को हुई आगजनी में

जलकर नष्ट होना बताया है तथा इसका उल्लेख अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय के पैरा संख्या–8 में किया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65(सी) के अनुसार, विचारण न्यायालय को न्याय और कार्यवाही की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये खोए अथवा नष्ट हुए अभिलेखों को पुनः निर्मित करने की अंतर्निहित शक्ति है। मूल साक्ष्य के नष्ट होने पर वह द्वितीयक साक्ष्य को भी स्वीकार कर सकता है तथा इसमें शामिल पक्षों को दस्तावेजों, साक्ष्यों या किसी भी ऐसी जानकारी की उपलब्ध प्रतियां उपलब्ध कराकर पत्रावली के पुनर्निर्माण में न्यायालय के साथ सहयोग करना चाहिये।

उभय पक्षों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/08/2025 को अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य .

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष